

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

F 14 () 2018/FCA/PCCF/CCFEDS –II Dated 20.8.2019

प्रस्ताव का नाम:— Construction of Lilo From 220 KV S/C Jhalawar – Chhabra line at Proposed 220 kv GSS Aklera, District Jhalawar.

यूजर एजेन्सी का नाम :— Executive Engineer, RRVNL KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :— 25.2 Ha (revised 24.4888 ha)

प्रभावित जिला एवं वनमंडल:— Jhalawar forest division

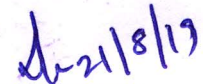
प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि:— FP/RJ/TRANS/37434/2018 13.12.2018

मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्र दिनांक 27.6.2019 से प्राप्त प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:—

A- Compliance of EDS Dated 17.7.2019 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 1 है0 में नाला होने के कारण 50 है0 में प्रस्तावित की गई है। इस हेतु संशोधित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन संलग्न किया गया है जबकि हार्ड प्रति के साथ संलग्न नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा 6684 वृक्ष पारेषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है किन्तु पार्ट II में उक्त संख्या 6631 अंकित है अतः संशोधन प्रस्तावित है। साथ ही संलग्न सूची से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौनसे वृक्ष काटे जावेगा एवं कौनसे वृक्षों की छंगाई की जानी प्रस्तावित है। पृथक – पृथक सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा छत्र घनत्व संशोधित कर दिया गया है किन्तु छत्र घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 गणना रिपोर्ट संशोधित संलग्न नहीं की गई है।
4. बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा वनखण्डवार विवरण संलग्न कर दिया गया है किन्तु दिये गये विवरण में निम्नानुसार कमियां हैं
 1. प्रस्ताव में वनखण्ड बोरबंद की 3.3 है0 वन भूमि आना अंकित है किन्तु उसमें अंकित ग्रामों का मिलान ग्रामवार सूची से नहीं हो रहा है। अर्थात् मिर्जापुर उक्त वनखण्ड में शामिल नहीं है।
 2. प्रकरण में 6 वनखण्ड प्रभावित होना अंकित किया गया है किन्तु प्रति 5 वनखण्डों की संलग्न की गई है। आडमपंथ चौकी वीखण्ड की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
 3. प्रस्ताव में वनखण्ड के अनुसार ग्रामों का मिलान नहीं हो रहा है।
5. बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा प्रकरण में जारी एफ0आई0आर0 के संदर्भ में प्रकरण शमन करना अंकित किया गया है किन्तु उसकी प्रति संलग्न नहीं है। साथ ही भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.1.2019 के अनुसार कार्यवाही के क्रम में पूर्ण विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
6. बिन्दु संख्या 8 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु प्राप्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन क्षेत्र 24.78588 है एवं जिला स्तरीय समिति में 27.02688 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वन क्षेत्र 24.4888 है0 है वस्तुस्थिति पर टिप्पणी एवं संशोधित दस्तावेज संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।

उक्तानुसार सूचना भिजवाये जाने हेतु संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को निर्देशित किया जाता है।


(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR